

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक-4/एम. आर./सेल-2/2007/1295

भोपाल, दिनांक 23/5/07

प्रति,

संचालक,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
मो प्रो, भोपाला

विषय:- चिकित्सा देयकों के निराकरण बाबत।

— 00 —

उपरोक्त विषय में लेख है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयकों के त्वरित निराकरण हेतु समस्त निर्धारित प्रोफार्मा की पूर्ति कर यथा शीघ्र निराकृत करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिन प्रकरणों में इलाज हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त रहती है, उनका निराकरण अपने स्तर से ही करें। इसके लिए पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

राज्य के अन्तर्गत बिना अनुमति के कराए गए उपचार के प्रकरण ही कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को भेजे जावें तथा राज्य के बाहर कराए गए उपचार के प्रकरण संचालक चिकित्सा शिक्षा मो प्रो को भेजे जावें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश